अता- 2790

परि. एक

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

(197)

क्रमांक एफ 44 -12/20-2/2006 भोपाल, दिनांक 25/8/06

प्रति,

आयुक्त,
लोक शिक्षण,
म0प्र0भोपाल ।

विषय:- प्रदेश में नये स्कूल खोलने उन्नयन करने संबंधी मापदण्ड निर्धारण बाबत ।

-0-

प्रदेश के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नये हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने/उन्नयन किये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड संलग्न है

संलग्न:- परिशिष्ट एक एवं दो

अवर सचिव
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0क्र0एफ 44-12/20-2/2006 भोपाल, दिनांक 25/8/06

प्रतिलिपि:-

1- सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल
2- सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग भोपाल
3- सचिव, म0प्र0 शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भोपाल
4- समस्त संभागीय आयुक्त, म0प्र0
5- समस्त कलेक्टर, म0प्र0
6- समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म0प्र0
7- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म0प्र0

अवर सचिव
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शि
वि

(198)

परिशिष्ट-1

अतारांकित 2790 परिशिष्ट-एक

[illegible] में हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए नये मापदण्ड

(क) हाईस्कूल

अनिवार्यता

1. बसाहट से 5 कि.मी. की परिधि में हाई स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक माध्यमिक शालाओं की कक्षा 8वी में छात्रों की दर्ज संख्या 80 से कम न होना ।
3. कक्षा 9वीं में संभावित नामांकन न्यूनतम 30 होना ।
4. वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या 2000 होना।

प्राथमिकता

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड जमीन होजा । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।

2. रूपये 10 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना। (इस राशि में विधायक निधि / सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जायेगी)

(ख) हायर सेकेण्डरी स्कूल के मापदण्ड

अनिवार्यता

1. बसाहट से 8 कि.मी. की परिधि में हायर सेकेण्डरी स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक हाई स्कूल की कक्षा 10वी में छात्रों की दर्ज संख्या 100 से कम न होना।
3. कक्षा 11वीं में संभावित नामांकन न्यूनतम 30 होना। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या 3000 होना।

प्राथमिकता

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड जमीन होना । यह जमीन शासकीध हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है।
2. रूपये 15 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना। (इस राशि में विधायक निधि / सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि ... जाएगी।)

अवर सचिव
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग